


म/निरा रीवा (भृत्या/207/4563

चापाल्य श्रीमान् राजस्व मण्डल घटालियर, टीकेट बोर्ट, रीवा म०५०



राष्ट्रीय सुरक्षा
राष्ट्रीय (21.11.17)

कलके आप कोट
गजस्व मण्डल म०५० अद्यतिथ
(टीकेट कोटी) रीवा

- 1:- श्रीउर्ध्व चित्रिया तन्य भैया लाल कोल उम् 42 वर्ष, पेशा मजदूरी जाति आदिवासी ३ कोलू निवासी ग्राम शिमपुरवाटोला, निपीनया, वार्ड नं०। तह० हुँदूर जिला रीवा म०५०
- 2:- लख्हि कोल तन्य कोल्ला कोलू आदिवासी ३ कोलू उम् 49 वर्ष, पेशा मजदूरी
- 3:- छोटे लाल कोल तन्य रघुनाथ आदिवासी ३ कोलू उम् 49 वर्ष, पेशा मजदूरी
- 4:- राजेन्द्र कोल तन्य रमेश्वर कोल उम् 40 वर्ष, पेशा रिक्का चालक
- 5:- मुन्नी चत्ती राम चूसाद आदिवासी ३ कोलू पुढ़ी भैया लाल कोल पेशा मजदूरी
- 6:- रबी तन्य श्री राम चूसाद ३ आदिवासी ३ कोल उम् 28 वर्ष पेशा मजदूरी
- 7:- छोटे लाल कोल तन्य कताहुर कोल ३ आदिवासी ३ उम् 40 वर्ष पेशा मजदूरी
- 8:- दहुलाई ३ आदिवासी ३ कोल पिता जन्यतेन कोल उम् 55 वर्ष, पेशा मजदूरी, सभी निवासी गण ग्राम शिमपुरवा, निपीनया रीवा नार वार्ड नं०। धाना चिटी कोत० जिला रीवा म०५०

— अवैदकाण/
पुनरीक्षणार्थीगण

बनाम

- | | | |
|---|--|-----------------------|
| 1:- मोहन सिंह उम् 59 वर्ष | | दोनो पिता दामोदर सिंह |
| 2:- कूपिल सिंह उम् 54 वर्ष | | |
| 3- चिन्द्र उर्ध्व राजेश सिंह उम् 32 | | दोनो पिता मोहन सिंह |
| 4:- बब्ल सिंह | | |
| 5- लालमणि सिंह तन्य ददोली सिंह उम् 59 साल | | |
| 6- गोविन्द सिंह उम् 44 साल | | दोनो पिता राम सिंह |
| 7- रामु सिंह | | |
| 8- राम सिंह तन्य नामाल्म उम् लगभग 74 साल | | |
| सभी निवासी ग्राम शिमपुरवा टोला, निपीनया वार्ड नं०। रीवा | | |
| तहसील हुँदूर जिला रीवा म०५० — — — अनावैदकाण/ | | |

गैर निगराकार
क्रमश्व/2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक II / निगो / रीवा / भू—रा० / 2017 / 4563

जिला—रीवा

श्री उर्फ सिरिया / मोहन सिंह

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 27/अ—70/2013—14 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">M</p>	 <p>(बी.एम.श्रीवास्तवा) सदस्य</p> <p style="text-align: right;">A4</p>